8/1/26

पत्रावली पेश हुई दावा वादी खारिज किया जाता है नियत निर्णय इजलास मे लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फैसल शुदा होकर नथी मे कार्यवाही [illegible] दाखिल दफ्तर हो

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:03:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(औ 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम करौली व इजलास

उनवान

अब्दुल कदीर पुत्र नसरूदीन उम्र 55 साल जाति मुसलमान निवासी नगाड खाने दरवाजे के पीछे जामा मस्जिद के पास करौली तहसील व जिला करौली

–वादी

बनाम

1. रहीस
2. मुवारक — पुत्रान अ0 हफीज
3. भूरा
4. जुवेदा
5. हनीफा — पुत्रीयान अ0 हफीज
6. आमना
7. हूरमत पत्नि अ0 हफीज

सभी जाति मुसलमान निवासी भगवान दास कॉलानी राजसंमद जिला राजसमंद राज0

8. कुदई
9. छुटटना
10. समसुदीन

पुत्रान नसरूदीन जाति मुसलमान निवासी नगाड खाने दरवाजे के पीछे जामा मस्जिद के पास करौली तहसील व जिला करौली राज0।

11. तहसीलदार (लैण्ड हॉल्डर) करौली तहसील करौली राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा इंद्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर टी एक्ट

मुकदमा नं. 44/22

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी **श्री हेमराज सैनी, एडवोकेट** मिनजानिब मुदई रूबरू ..... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निज ..... मुबलिग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद निज बगरह .....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक .... का अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 6/1/26 .....को सन् 2026 को जारी की गई।

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

मुदई	रूपया	पैसे	मुद्दालयह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meena
Date: 2026.05.01 13:03:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

नोटः–इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी करौली(राज0)

पीठासीन अधिकारी प्रेमराज मीना, उपखण्ड अधिकारी (RAS)

मु0न0:—44 / 22 तारीख रजु:—26.11.22

उनवान

अब्दुल कदीर पुत्र नसरूदीन उम्र 55 साल जाति मुसलमान निवासी नगाड खाने दरवाजे के पीछे जामा मस्जिद के पास करौली तहसील व जिला करौली

—वादी

बनाम

1. रहीस
2. मुवारक — पुत्रान अ0 हफीज
3. भूरा
4. जुवेदा
5. हनीफा — पुत्रीयान अ0 हफीज
6. आमना
7. हूरमत पत्नि अ0 हफीज

सभी जाति मुसलमान निवासी भगवान दास कॉलानी राजसंमद जिला राजसमंद राज0

8. कुदई
9. छुटटना
10. समसुदीन

— पुत्रान नसरूदीन जाति मुसलमान निवासी नगाड खाने दरवाजे के पीछे जामा मस्जिद के पास करौली तहसील व जिला करौली राज0।

11. तहसीलदार (लैण्ड हॉल्डर) करौली तहसील करौली राज0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा इंद्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88 व 188 आर.टी.एक्ट

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Mee
Date: 2026.05.01 13:03:01 IST
Reason: SelfAttested

—::निर्णय::— दिनांक :— 6/12/22

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम भौडेर तहसील करौली जिला करौली में आराजी खसरा नं0 343 रकवा 2 विधा 17 विस्वा व ख0न0 345 रकवा 1 विधा 16 विस्वा कुल किता

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

2 कुल रकवा 4 विधा 13 विस्वा, जो अ0 हफीज पुत्र अलाउदीन जाति मुसलमान जो प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 7 के पिता व पति थे। जो की कस्बा करोली की सकुनत को करीब 35 साल पूर्व तर्क कर चुके है। और व सिलसिलें रोजगार राजसंमद जिले में रहने लगे गये है। और तभी से वादी उक्त आराजीयातक पर काबिज है। और बिना किसी रोक टोक के प्रतिवादीगण की जानकारी में काबिज हे। और काश्त करता चल आ रहा है। और प्रतिवादीगण 1 लगा0 7 के पिता व पति ने विवादित जमीन में सभी हक वादी के हक में बेचान दिनांक 02.06. 1971 के अनुसार तर्क कर चुके है। प्रमाण में जमाबंदी व गिरदावरी व स्टॉम्प पर वादी के पिता के हक में की गई लिखापढी मूल प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण नं0 8 लगा0 10 नसरूदीन के पुत्र है। जिनका उक्त विवादित आराजीयात में अपना हक व हिस्सा होते हुए कोई कब्जा वादी के अलावा नही है। और ना ही काबिज है। एक मात्र वादी ही उक्त विवादित आराजी पर काबिज है। प्रतिवादीगण 8 लगा0 10 पुश्तैनी दीगर जमीनों को काश्त कर रहे है। इसलिए उक्त विवादित आराजीयात में उनका कोई हक व हिस्सा नही है। प्रतिवादीगण दीगर स्थानीय व्यक्तियों को देखने खरीद बेचान के लिए जाने लग गये। जब कि उनका कोई कानूनी हक उक्त आराजीयात में शेष नही रहा हे। ना ही प्रतिवादीगण को रहन व वयय करने का हक प्राप्त हैं क्योंकि वादी अपने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातदेरी अधिकार प्राप्त होने से प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार शेंष नही रहे है। सभी अधिकार समाप्त हो चुके हैं। इसलिए उक्त विवादित आराजी को वादी को प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी कानूनी तोर पर प्राप्त होने के कारण खातदेरी की घोषणा वादी कराने का अधिकारी है। तथा दीगर व्यक्तियों को रहन वय करने के सभी अधिकार [illegible] के समाप्त हो चुके है। यह कि वादी प्रतिवर्ष दोनों फसल काश्त [illegible] लम्बे समय से फल प्राप्त करता रहा है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 15.11. 2022 को स्थानीय व्यक्तियों को उक्त आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने पर आ गये। वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने काह कि यह उक्त आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meer
Date: 2026.05.01 13:03:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

में दखलंदाजी करने पर आ गये। वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि यह उक्त विवादित जमीन को हम तो बेचान करेंगे, और झगडा करने पर उतारू हो गये, और ऐलानिया धमकी दी की उक्त विवादित आराजीयात का बेचान करके मुझे बेदखल करके छोडेगें। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने का अधिकारी है। विनाय दावा दिनांक 15.11.2022 को प्रतिवादीगण द्वारा कब्जे काश्त में व्यवधान डालने तथा दीगर व्यक्तियों को रहन वय करने की धमकी देने पर अन्दर हदूद व्यक्तियों को रहन वय करने की धमकी देने पर अन्दर हदूद अदालत हाज पैदा हुआ। दावा अन्दर म्याद है, और काबिज समाअत अदालत हाजा है। अंत में दावा वादी डिक्री किये जो का निवेदन किया है।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण के जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी नंबर 1 ता 10 की बावजूद तामील उपस्थित नहीं होने के कारण इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वादी ने अपनी मौखिक साक्ष्य में पीडब्ल्यू–1 अब्दुल कदीर व पीडब्ल्यू–2 अब्दुल कलाम के चीफ बयान कराये गये एवं दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी पटवार क्षेत्र खूबनगर संवत 2075–78 खसरा नंबर 345, 343 रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा प्रदर्श–1 एवं लिखापढी हफीज वल्द अलाउदीन 02.06.71 की स्टाम्प पर असल लिखापढी प्रदर्श–2 पेश किये है।

बहस वकील सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील वादी का बहस में कथन [illegible]

तहसील करौली जिला करौली में आराजी [illegible]

विधा 17 विस्वा व ख0न0 345 रकवा 1 विधा 16 विस्वा कुल [illegible] 2

कुल रकवा 4 विधा 13 विस्वा, जो अ0 हफीज पुत्र अलाउदीन जाति मुसलमान जो प्रतिवादीगण नं0 1 लगायत 7 के पिता व पति थे। जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Mee
Date: 2026.05.01 13:03:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज0)

की कस्बा करोली की सकुनत को करीब 35 साल पूर्व तर्क कर चुके है। और व सिलसिलें रोजगार राजसंमद जिले में रहने लगे गये है। और तभी से वादी उक्त आराजीयातक पर काबिज है। और बिना किसी रोक टोक के प्रतिवादीगण की जानकारी में काबिज हे। और काश्त करता चल आ रहा है। और प्रतिवादीगण 1 लगा0 7 के पिता व पति ने विवादित जमीन में सभी हक वादी के हक में बेचान दिनांक 02.06. 1971 के अनुसार तर्क कर चुके है। प्रमाण में जमाबंदी व गिरदावरी व स्टॉम्प पर वादी के पिता के हक में की गई लिखापढी मूल प्रस्तुत है। प्रतिवादीगण नं0 8 लगा0 10 नसरूदीन के पुत्र है। जिनका उक्त विवादित आराजीयात में अपना हक व हिस्सा होते हुए कोई कब्जा वादी के अलावा नही है। और ना ही काबिज है। एक मात्र वादी ही उक्त विवादित आराजी पर काबिज है। प्रतिवादीगण 8 लगा0 10 पुश्तैनी दीगर जमीनों को काश्त कर रहे है। इसलिए उक्त विवादित आराजीयात में उनका कोई हक व हिस्सा नही है। प्रतिवादीगण दीगर स्थानीय व्यक्तियों को देखने खरीद बेचान के लिए जाने लग गये। जब कि उनका कोई कानूनी हक उक्त आराजीयात में शेष नही रहा हे। ना ही प्रतिवादीगण को रहन व वयय करने का हक प्राप्त हैं क्योंकि वादी अपने प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातदेारी अधिकार प्राप्त होने से प्रतिवादीगण को कोई कानूनी अधिकार शेंष नहीं रहे है। स[illegible]र समाप्त हो चुके हैं। इसलिए उक्त विवादि[illegible] का प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी कानूनी तोर [illegible]प्राप्त होने के कारण खातदेारी की घोषणा वादी कराने का अधिकारी है। तथा दीगर व्यक्तियों को रहन वय करने के सभी अधिकार प्रतिवादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Prem Raj Meen
Date: 2026.05.01 13:03:01 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)

के समाप्त हो चुके है। यह कि वादी प्रतिवर्ष दोनों फसल काश्त कर लम्बे समय से फल प्राप्त करता रहा है। प्रतिवादीगण ने दिनांक 15.11.2022 को स्थानीय व्यक्तियों को उक्त आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करने पर आ गये। वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने काह कि यह उक्त आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने पर आ गये। वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि यह उक्त विवादित जमीन को हम तो बेचान करेंगे, और झगडा करने पर उतारू हो गये, और ऐलानिया धमकी दी की उक्त विवादित आराजीयात का बेचान करके मुझे बेदखल करके छोडेगें। इसलिए वादी प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद कराने का अधिकारी है। अंत दावा वादी डिक्री किया जावे।

बहस वकील वादी मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकॉर्ड व साक्ष्य का अवलोकन कर विवेचन किया गया। वादी द्वारा यह वाद अनरजिस्टर्ड इकरारनामा दिनांक 2.6.71 के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। राजस्व न्यायालय द्वारा अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर वादी को कोई खातेदारी अधिकार धारा 207 आर टी एक्ट के तहत नहीं दिये जा सकते है। वादी अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर कोई घोषणा खातेदारी व स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्व प्राप्त करने का हकदार नहीं है। दावा वादी क्षेत्राधिकार के अभाव में चलने योग्य नहीं है।

अतः दावा वादीगण विरूद्व प्रतिवादीगण क्षेत्राधिकार के अभाव में खारिज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...8/1/26... को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(प्रेमराज मीना)

उपखण्ड अधिकारी,

करौली।

Signature Not Verified

Digitally signed by Prem Raj M
Date: 2026.05.01 13:03:01 IST
Reason: SelfAttested